राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9380/2021

भीमसेन पुत्र श्री ओम प्रकाश, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम ढाणी अराइयां, पी.ओ. भुकरका, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ (राज.).

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक (भर्ती), राजस्थान, जयपुर।
4. कमांडेंट 8 वीं बटालियन, आरएसी (आईआर), गाजीपुर, दिल्ली।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से	:	श्री उत्कर्ष सिंह.
प्रतिवादी(गण) की ओर से	:	श्री बी.एल. भाटी, एएजी की ओर से श्री संदीप सोनी

माननीय श्रीमान न्यायाधीश अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

17/03/2025

1. यहां चुनौती के अधीन दिनांक 13.07.2021 (अनुलग्नक 10) का आदेश है, जिसके तहत कांस्टेबल चालक के पद पर याचिकाकर्ता का चयन उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

2. याचिकाकर्ता ने 2012 में अपनी उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की और 2015 में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में उसने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लिया। 04.12.2019 को, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा कांस्टेबल सामान्य और कांस्टेबल चालक के पदों पर भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था,

जिसमें 8वीं बटालियन, आरएसी (आईआर), गाजीपुर, दिल्ली के लिए कांस्टेबल चालक के 12 पद शामिल थे। कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए पात्र याचिकाकर्ता ने ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर श्रेणी के तहत आवेदन किया था।

2.1 याचिकाकर्ता ने 06.11.2020 को लिखित परीक्षा दी और ओबीसी उम्मीदवार के रूप में आवेदन करने के बावजूद सामान्य श्रेणी के अंतर्गत उच्च अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण हुआ। इसके बाद वह 10.04.2021 को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) में भी उपस्थित हुआ और उत्तीर्ण हुआ।

2.2. 17.04.2021 को, याचिकाकर्ता का चयन कांस्टेबल चालक पद के लिए हुआ, जो सामान्य पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान पर था, और उसे 26.04.2021 को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया। सत्यापन के दौरान, याचिकाकर्ता ने अपने विरुद्ध दर्ज एक आपराधिक मामले का खुलासा किया, जिससे उसे 22.01.2021 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर, जिला हनुमानगढ़ द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था।

2.2. दोषमुक्ति निर्णय प्रस्तुत करने के बावजूद, प्रतिवादियों ने आपराधिक मामले में उसकी संलिप्तता का हवाला देते हुए, दिनांक 13.07.2021 (अनुलग्नक 10) के एक आदेश द्वारा याचिकाकर्ता का चयन निरस्त कर दिया। यह निरसन पुलिस अधीक्षक (भर्ती एवं पदोन्नति) बोर्ड, राजस्थान, जयपुर के दिनांक 02.03.2020 की अधिसूचना का हवाला देते हुए लिए गए निर्णय पर आधारित था। नियम 13 के उप-नियम (2) के अंतर्गत याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अयोग्य माना गया, जिसके कारण यह याचिका दायर की गई।

3. उत्तर में प्रासंगिक तर्क यह है कि, संबंधित पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय, याचिकाकर्ता ने "क्या आपके विरुद्ध कभी कोई एफआईआर

दर्ज की गई है" खंड के उत्तर में "नहीं" लिखा था। हालाँकि, सत्यापन के दौरान, पता चला कि उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 323, 341, 147, 148 और 149 के अंतर्गत एफआईआर संख्या 475/2019 दर्ज है। अतः, याचिकाकर्ता ने जानबूझकर इस तथ्य को छिपाया और जानबूझकर खंड में "नहीं" दर्ज किया। परिणामस्वरूप, वह इस न्यायालय से किसी भी राहत का हकदार नहीं है और उसकी याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वन्द्वी पक्ष की दलीलें सुनी हैं तथा प्रकरण पत्रावली का अवलोकन किया है।

5. इसमें कोई संदेह नहीं कि संबंधित पद के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की बात नहीं बताई थी। इसके कारण जानने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वह दुविधा में रहा होगा कि अगर उसने यह बात बताई, तो उसी चरण में अयोग्य घोषित किए जाने की पूरी संभावना है। उसे चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, उसकी दुविधा उसके इस विश्वास से भी उपजी प्रतीत होती है कि उसे एफआईआर में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि उसमें उसकी किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं बताई गई थी। वह मुख्य अभियुक्त भी नहीं था, हालाँकि, उसे घटनास्थल पर मौजूद लोगों की भीड़ का हिस्सा होने के कारण अभियुक्त बनाया गया था, जिसके कारण एफआईआर दर्ज की गई।

6. कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में, **रवींद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 5902/2012), निर्णय दिनांक 22 फरवरी 2024** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह के एक मुद्दे को संबोधित किया था, जहाँ एक उम्मीदवार ने हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा था कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है। इस स्थिति पर विचार

करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

> *"29. xxx xxx xxx*
> *X.* यह जाँच करते हुए कि क्या प्राधिकरण द्वारा जाँच के लिए अपनाई गई प्रक्रिया निष्पक्ष और उचित थी, हम पाते हैं कि *12.04.2005* का रद्द करने का आदेश धारा *4* में निर्धारित आदेश का भी पालन नहीं करता है। इस निर्णय के पूर्व भाग में चरित्र सत्यापन का प्रारूप निर्धारित किया गया है। जैसा कि **राम कुमार *(उपरोक्त)*** मामले में पाया गया था, अपीलकर्ता की नियुक्ति के लिए उपयुक्तता पर विचार करने के बजाय, नियुक्ति प्राधिकारी ने यांत्रिक रूप से उसका चयन अनियमित और अवैध माना था क्योंकि अपीलकर्ता ने गलत तथ्यों के साथ एक हलफनामा प्रस्तुत किया था। इसलिए, **सतीश चंद्र यादव *(उपरोक्त)*** के अनुच्छेद *93.7* में निर्धारित बोर्ड सिद्धांतों को लागू करते हुए भी, हम पाते हैं कि *12.04.2005* का निरसन आदेश न तो उचित है और न ही तार्किक। भर्ती अधिसूचना के खंड *9* को ऊपर वर्णित मामलों में निर्धारित कानून के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।
> *30.* मामले के तथ्यों और ऊपर वर्णित विशेष परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, दुर्भाग्यपूर्ण आपराधिक मामले *(*जिसका अंत भी बरी होने के साथ हुआ*)* का खुलासा न करना, इस योजना में कहाँ ठहरता है*?* मामले के विशिष्ट तथ्यों पर हमारी राय में, हमें नहीं लगता कि इसे अपीलकर्ता के लिए घातक माना जा सकता है। बोर्ड द्वारा हर गैर-प्रकटीकरण को अयोग्यता मानकर नज़रअंदाज़ करना, अन्यायपूर्ण होगा और यह इस महान, विशाल और विविध देश की ज़मीनी हक़ीक़तों से पूरी तरह अनभिज्ञ होने के समान होगा। प्रत्येक मामला उन तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, और अदालत को वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें उपलब्ध उदाहरण मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। यह कभी भी एक ही तरह का परिदृश्य नहीं हो सकता।*"*

7. उपरोक्त के विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता **राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड बनाम अनिल कंवरिया, (2021) 10 एससीसी 136** में प्रकाशित सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले पर निर्भरता प्रकट करते हैं, जिसमें निम्नानुसार निर्णय दिया गया था:-

> *"12.* इस मुद्दे/प्रश्न पर दूसरे कोण से, नियोक्ता के दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। प्रश्न यह नहीं है कि क्या कोई कर्मचारी किसी तुच्छ प्रकृति के विवाद में शामिल था और क्या वह बाद में

> बरी हुआ है या नहीं। प्रश्न ऐसे कर्मचारी की विश्वसनीयता और/या भरोसेमंदता का है, जिसने रोजगार के प्रारंभिक चरण में, अर्थात् घोषणा/सत्यापन प्रस्तुत करते समय और/या किसी पद के लिए आवेदन करते समय झूठी घोषणा की और/या किसी आपराधिक मामले में शामिल होने के भौतिक तथ्य का खुलासा नहीं किया और/या उसे दबाया। यदि सही तथ्य बताए गए होते, तो नियोक्ता ने शायद उसे नियुक्त नहीं किया होता। तब प्रश्न भरोसे का है। इसलिए, ऐसी स्थिति में, जहाँ नियोक्ता को लगता है कि एक कर्मचारी जिसने प्रारंभिक चरण में ही झूठा बयान दिया है और/या भौतिक तथ्यों का खुलासा किया है और/या भौतिक तथ्यों को छिपाया है और इसलिए उसे सेवा में जारी नहीं रखा जा सकता क्योंकि ऐसे कर्मचारी पर भविष्य में भी भरोसा नहीं किया जा सकता, नियोक्ता को ऐसे कर्मचारी को सेवा में बनाए रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसे कर्मचारी को सेवा में बनाए रखने या न रखने का विकल्प हमेशा नियोक्ता को दिया जाना चाहिए। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा गया है और जैसा कि ऊपर निर्णय की श्रृंखला में देखा गया है, ऐसा कर्मचारी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता और/या अधिकार के रूप में सेवा में बने रहने का दावा नहीं कर सकता।

8. यद्यपि उपर्युक्त टिप्पणियाँ, निस्संदेह नियोक्ता को भौतिक तथ्यों का खुलासा न करने/छिपाने की स्थिति में उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने का विवेकाधिकार देती हैं, किन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह ऐसा मामला है जहाँ उम्मीदवार द्वारा खुलासा न करने के कारण नियोक्ता के विश्वास में कमी आई है?

9. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करना विश्वास की कमी पर आधारित नहीं, बल्कि केवल एक यांत्रिक मानसिक प्रयोग प्रतीत होता है, जिसमें कहा गया है कि चूँकि (i) उसने प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी छिपाई; और (ii) प्राथमिकी दर्ज होने से वह अयोग्य हो जाता है, इसलिए वह नियुक्ति के योग्य नहीं था।

10. आक्षेपित आदेश यह नहीं दर्शाता है कि स्वतंत्र विवेक से कोई वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाया गया था। निर्णय केवल याचिकाकर्ता की अयोग्यता के संबंध में

था, और इसी कारण उसे अयोग्य ठहराया गया।

11. तदनुसार, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि उक्त रवींद्र कुमार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय का लाभ याचिकाकर्ता को क्यों न दिया जाए।

12. तदनुसार, ऐसा आदेश दिया जाता है।

13. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है। चूँकि रिट कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, दिनांक 22.07.2021 के अंतरिम आदेश द्वारा, एक पद रिक्त रखने का आदेश दिया गया था, अतः प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को उसके चयन के अनुसार नियुक्ति हेतु उचित आदेश पारित करके उक्त अंतरिम संरक्षण का लाभ प्रदान करें और उसे सेवा में शामिल होने की अनुमति दें, बशर्ते कि वह चयन प्रक्रिया में अन्यथा योग्य और मेधावी हो।

14. याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आदेश की वेब प्रति के साथ प्रतिवादियों से संपर्क करने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

15. सेवा से बाहर रहने की अवधि के दौरान, वह 'काम नहीं वेतन नहीं' के सिद्धांत पर किसी भी वित्तीय लाभ का हकदार नहीं होगा, हालाँकि, याचिकाकर्ता को वरिष्ठता सहित सभी काल्पनिक लाभ उसी तिथि से प्रदान किए जाएँगे जिस तिथि से उसके समकक्षों की नियुक्ति उस चयन प्रक्रिया के अनुसार हुई थी जिसमें याचिकाकर्ता ने भी उनके साथ प्रतिस्पर्धा की थी।

16. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निस्तारण किया जाता है ।

(अरुण मोंगा),जे

79-आरमाथुर-सुमित/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है:- हाँ / नहीं

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी